भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1193

उत्तर देने की तारीख 29.07.2026

नीलगिरि के पीवीटीजी के लिए पीएम-जनमन

1193 श्री प्रवीण चक्रवर्ती:

क्या **जनजातीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नीलगिरि क्षेत्र के कट्टुनायक्कन समुदाय सहित विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के लिए 'पीएम-जनमन' के तहत तमिलनाडु को कितनी धनराशि जारी की गई है;

(ख) तमिलनाडु में इस योजना के तहत आज की तिथि तक कितनी पीवीटीजी बस्तियों को बुनियादी सुविधाएँ (आवासन, पानी, सड़कें, आंगनवाड़ी केंद्र) पूर्ण रूप से उपलब्ध करा दी गई हैं; और

(ग) राज्य में सभी आवश्यक सुविधाएँ पूर्ण रूप से उपलब्ध कराने की समय-सीमा क्या है?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्य मंत्री

(श्री दुर्गादास उइके)

(क): विगत 3 वर्षों के दौरान जनजातीय कार्य मंत्रालय के उपायों (हस्तक्षेपों) के लिए नीलगिरि के कट्टुनायक्कन सहित पीवीटीजी के कल्याण हेतु पीएम-जनमन के तहत तमिलनाडु राज्य को जारी निधियों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

i. बहुउद्देश्यीय केंद्र (एमपीसी)

(करोड़ रुपये में)

2023-24	2024-25	2025-26
5.20	20.67	5.07

ii. वन धन विकास केंद्र (वीडीवीके)

(लाख रुपये में)

2023-24	2024-25	2025-26
60.075	-	-

पीएम जनमन के तहत अन्य मंत्रालयों/विभागों द्वारा किए जाने वाले उपायों (हस्तक्षेपों) के लिए राज्य-वार जारी की गई निधियों का रिकॉर्ड संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा रखा जाता है।

(ख) और (ग): पात्रता और अनुमोदित मानदंडों के अनुसार उपायों (हस्तक्षेपों) की स्वीकृति के संदर्भ में, 30.06.2026 तक, तमिलनाडु राज्य के कुल 647 गांवों को बुनियादी सुविधाओं से संतृप्त होने की सूचना है। इस योजना को 16वें वित्त आयोग चक्र के तहत सितंबर 2026 तक विस्तार प्राप्त हुआ है और सड़क घटक को मार्च, 2028 तक अनुमोदित किया गया है; पात्र अवसंरचना के साथ पीवीटीजी गांवों की संतृप्ति जारी (सतत प्रक्रिया में) है।

*****